संख्याः 1263/62-2-06-2/2(42)98

प्रेषक,

**अनीस अंसारी,**
कृषि उत्पादन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **मुख्य अभियन्ता,**
लघु सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

2. **समस्त मण्डलायुक्त,**
उत्तर प्रदेश।

3. **समस्त जिलाधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।

लघु सिंचाई एवं ग्रा0अभि0सेवा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 31 मई, 2006

**विषयः- जिला योजना के अन्तर्गत लघु/सीमान्त श्रेणी के सामान्य जाति एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों के कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु निःशुल्क बोरिंग योजना का कियान्वयन।**

**महोदय,**

प्रदेश में निजी लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत लघु एवं सीमान्त कृषकों के कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु निःशुल्क बोरिंग योजना फरवरी 1985 से चलायी जा रही है। वर्तमान में यह योजना जिला सेक्टर के अन्तर्गत कियान्वित है। अभी तक योजना के कियान्वयन हेतु प्रत्येक वित्तीय वर्ष में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु स्ट्रेटजी निर्गत किये जाने की व्यवस्था थी किन्तु विगत वर्षो में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष भौतिक वार्षिक/मासिक कार्ययोजना निर्गत किये जाने की व्यवस्था हो जाने के कारण अब प्रत्येक वर्ष पृथक से निःशुल्क बोरिंग योजना की स्ट्रेटजी निर्गत किये जाने की आवश्यकता नही रह गयी है। अतः निःशुल्क बोरिंग योजना के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत समस्त शासनादेशों को समावेश करते हुए इसके कियान्वयन हेतु निम्न निदेश निर्गत किये जा रहे है।

1- **योजना का स्वरूप :-**

योजना के अन्तर्गत सामान्य जाति एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के लघु/सीमान्त लाभार्थियों को निजी लघु सिंचाई साधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निम्न प्रतिबन्धों के साथ बोरिंग निर्मित कराकर उपलब्ध करायी जायेगी।

(अ) शासनादेश संख्याः 2486/62-2-2004-2/2(6)/2004 दिनांक 30 जुलाई, 2004 **(संलग्न क्रमांक-1)** द्वारा की गयी व्यवस्था के अनुसार 0.2 हेक्टर से कम जोत वाले सामान्य श्रेणी के लघु एवं सीमान्त कृषको की व्यक्तिगत बोरिंग निर्मित नही की जायेगी, व्यक्तिगत बोरिंग उन्हीं सामान्य श्रेणी के लघु एवं सीमान्त कृषकों की, की जायेगी जिनकी न्यूनतम जोत सीमा 0.2 हे0 है, अन्यथा स्थिति में कृषकों का समूह बनाकर उन्हें लाभान्वित किया जायेगा।

(ब) शासनादेश संख्या 1067/62-2-2003-2/2(6)/2000 दिनांक 13 मार्च, 2003 **(संलग्न क्रमांक-2)** में दिये गये निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति/ जनजाति के लघु एवं सीमान्त कृषकों के मामले में न्यूनतम जोत सीमा का प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।

(स) शासनादेश संख्याः 1067/62-2-2003-2/2(6)/2000 दिनांक 13 मार्च,2003 एवं 3195/62-2-2005-2/2(6)/2004 दिनांक 30 दिसम्बर, 2005 **(संलग्न क्रमांक-3)** में दिये गये निर्देशों के अनुसार सभी श्रेणी के कृषकों हेतु पम्पसेट स्थापना एवं इस हेतु बैंक से ऋण लेने की व्यवस्था अब स्वैच्छिक होगी तथा कृषकों हेतु इसकी कोई बाध्यता नहीं होगी। किन्तु अतिरिक्त सिंचन क्षमता की पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु कृषकों को प्रेरित करते हुए अधिकाधिक मामलों में पम्पसेट स्थापित करने की कार्यवाही की जायेगी।

(द) शासनादेश संख्याः 1183/62-2-2005-2/2(42)/98टी.सी. दिनांक 29 मार्च, 2005 **(संलग्न क्रमांक-4)** में दिये गये निर्देशों के अनुसार प्रदेश के पठारी क्षेत्रों के उक्त शासनादेश में उल्लखित विकास खण्डों जहां हैण्ड बोरिंग सेट से बोरिंग किया जाना सम्भव नही हो पाता है, में अब कृषकों को निःशुल्क बोरिंग योजना से लाभान्वित करने हेतु इनवेल अथवा वैगन ड्रिल मशीन से बोरिंग कराने की अनुमति भी इस प्रतिबन्ध के साथ होगी कि कृषकों को अनुमन्य सीमा तक ही अनुदान देय होगा और अतिरिक्त व्यय भार कृषक द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

**2- <u>अनुमन्य अनुदान</u> :-**

योजना के अन्तर्गत बोरिंग निर्माण एवं पम्पसेट स्थापना हेतु निम्नानुसार अनुदान देय होगा-

| क्र. सं. | कृषक की श्रेणी | अनुमन्य अनुदान | |
|---|---|---|---|
| | | बोरिंग निर्माण हेतु | पम्पसेट स्थापना हेतु |
| 1 | सामान्य श्रेणी के लघु कृषक | अधिकतम रू0 3000/ प्रति बोरिंग | यूनिट कास्ट रू0 11300/- का 25 प्रतिशत अधिकतम रू0 2800/प्रति पम्पसेट |
| 2 | सामान्य श्रेणी के सीमान्त कृषक | अधिकतम रू0 4000/ प्रति बोरिंग | यूनिट कास्ट रू0 11300/- का 33 1/3 प्रतिशत अधिकतम रू0 3750/प्रति पम्पसेट |
| 3 | अनुसूचित जाति/ जनजाति के लघु/ सीमान्त कृषक | अधिकतम रू0 6000/ प्रति बोरिंग | यूनिट कास्ट रू0 11300/- का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 5650/प्रति पम्पसेट |

किन्तु शासनादेश संख्याः 8582/54-2--1299(93)/90 दिनांक 05 जनवरी, 1991 **(संलग्न क्रमांक-5)** में दिये गये निर्देशों के अनुसार बुन्देलखण्ड के उल्लखित जनपदों के चिन्हित विकास खण्डों में बोरिंग निर्माण हेतु विकास खण्डवार अनुदान वास्तविक व्यय अथवा रू0 4500/ से रू0 7000/, जो कम हो, अनुमन्य होगा तथा अतिरिक्त अनुदान की राशि बुन्देलखण्ड विकास निधि से वहन की जायेगी।

2.1 सामान्य/अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषको की बोरिंग में निर्धारित सीमा से बोरिंग की लागत यदि अधिक आती है तो अतिरिक्त व्यय सम्बन्धित लाभार्थी/कृषक द्वारा प्रचलित प्रकिया के अनुसार स्वयं वहन किया जायेगा। जबकि अनुसूचित जाति/जनजाति के मामले में धनराशि शेष बचने पर अवशेष धनराशि से निर्धारित अनुदान सीमा तक कृषक की बोरिंग पर पम्पसेट एसेसरीज, रिपलेक्शवाल्व/नान रिटर्न वाल्व, डिलिवरी पाइप इत्यादि उपलब्ध कराया जायेगा।

## 3. वित्तीय व्यवस्थाः-

वर्षवार निर्धारित लक्ष्य हेतु बोरिंग निर्माण एवं पम्पसेट अनुदान के लिए वांछित धनराशि की जनपदवार फौंट शासन द्वारा जिला सेक्टर के परिव्यय एवं उपलब्ध बजट के सापेक्ष शासनादेश संख्याः 367/62-2 -2004-2/2(4)/2004 दिनांक 01 अगस्त 2004 **(संलग्न क्रमांक-6)** के अनुसार सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई को अवमुक्त की जायेगी जिसकी सी0सी0एल0 मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी की जायेगी।

4- **लक्ष्यों का निर्धारण :-**

4.1 प्रत्येक वर्ष जनपदवार लक्ष्य शासन स्तर से उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष निर्गत किये जायेंगे।

4.2 क्षेत्र पंचायत (विकास खण्ड) हेतु लक्ष्यों का निर्धारण जनपद में अतिदोहित /क्रिटिकल/सेमी क्रिटिकल विकास खण्डों की स्थिति, क्षेत्र में कार्यक्रम की मांग तथा भूजल विकास की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई की संस्तुति पर जिला पंचायत द्वारा किया जायेगा।

4.3 क्षेत्र पंचायत द्वारा ग्राम पंचायतों के लक्ष्यो को निर्धारित किया जायेगा।

4.4 ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम जल संसाधन समिति की सहमति से उपरोक्तानुसार निर्धारित लक्ष्यों से 25% से अधिक की संख्या में लाभार्थियों का चयन कर सूची खण्ड विकास अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।

5. **लाभार्थियों का चयन :-**

निःशुल्क बोरिंग के लिये कृषको के चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी।

5.1 कृषको का चयन पात्रता को देखते हुए ग्राम पंचायत की खुली बैठक में किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बोरिंग टेक्नीशियन/सहायक बोरिंग टेक्नीशियन द्वारा लघु सिंचाई विभाग के शासनादेश संख्याः 5257-1/62-2-2001-2 2127/99 दिनांक 16 दिसम्बर, 2001 **(संलग्न क्रमांक-7)** के क्रम में तैयार किये गये इनवेन्ट्री रजिस्टर (Directory of Works) से यह भी देखा जायेगा कि सम्बन्धित कृषक/लाभार्थी पूर्व में किसी योजना के अन्तर्गत लाभान्वित हुआ है अथवा नहीं और यदि सम्बन्धित कृषक/लाभार्थी पूर्व में लाभ ले चुके है तो उसे सूची से हटा दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा लघु सिंचाई कार्यो का सेन्सस आधार वर्ष 2000-01 कराया गया है जिसमें ऐसे कृषको की सूची तैयार की गई है, जिनकी भूमि असिंचित है। इस सूची में अंकित कृषकों को चयनित करने हेतु विशेष ध्यान दिया जायेगा। ग्राम पंचायत द्वारा खुली बैठक में अन्तिम चयनित लाभार्थियों की सूची तैयार की जायेगी।

5.2 ग्राम पंचायत विकास अधिकारी/बोरिंग टेक्नीशियन/सहायक बोरिंग टेक्नीशियन द्वारा उक्त सूची के अनुसार इन कृषकों का विवरण रूप–पत्र–1 (प्रति संलग्न) पर अंकित कर पात्रता के सम्बन्ध में संस्तुति की जायेगी।

5.3 खण्ड विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, द्वारा अनुमोदित सूची के प्रत्येक चयनित लाभार्थी के रूप पत्र–1 पर स्वीकृत/अस्वीकृत सम्बन्धी संस्तुति सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई को प्रेषित की जायेगी एंव सहायक अभियन्ता स्वीकृति/अस्वीकृति सम्बन्धी निर्णय लेकर प्रमाण पत्र अंकित करेंगे।

## 6. चयन में प्राथमिकतायें एवं प्रतिबन्ध :–

चयन में निम्न प्रतिबन्ध एवं प्राथमिकतायें होंगी :–

6.1 चयन करते समय यह ध्यान दिया जाये कि जहाँ बोरवेल/नलकूप स्थापित किये जा रहे है वहां खेती होनी चाहिए। यह अतिमहत्वपूर्ण है। इस बिन्दु पर कृषि विभाग से समन्वय स्थापित करके विभागों के कार्यो से सम्बन्धित सूचना का आदान–प्रदान कृषि विभाग से होना चाहिए।

6.2 कृषकों की बोरिंग के सम्बन्ध में यह ध्यान रखा जाय कि प्रस्तावित नलकूप/पम्पसेट से लगभग 3 हेक्टेयर शुद्ध कृषि योग्य भूमि की सिंचाई सम्भव हो सके।

6.3 अतिदोहित/क्रिटिकल विकास खण्डों में कार्य नहीं किया जायेगा।

6.4 सेमी क्रिटिकल विकास खण्डों में नाबार्ड द्वारा स्वीकृत सीमा के अन्तर्गत ही चयन किया जायेगा।

6.5 बोरिंग/पम्पसेट के मध्य दूरी नाबार्ड द्वारा जनपद विशेष के लिये निर्धारित दूरी से कम नहीं होनी चाहिए।

6.6 समादेश क्षेत्र में नहर प्रणालियों के अन्तर्गत अन्तिम छोर (टेल एण्ड) के उन क्षेत्रों में जिनमें नहरों से पानी मिलने में विशेष कठिनाई है,

कृषकों को चयन में प्राथमिकता देते हुए उनका कार्य भी प्राथमिकता से कराया जायेगा। ऐसे कृषको को चयन में वरीयता दी जाये।

6.7 समग्र ग्राम विकास योजना एवं बक्सल प्रभावित समग्र ग्राम विकास योजना के अर्न्तगत चयनित ग्रामो में सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर बोरिंग का कार्य कराया जायेगा और उपलब्ध धनराशि से सर्वप्रथम इन ग्रामों के निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति की जायेगी।

6.8 बोरिंग की डिजाइन एंव प्राइम मूवर के हार्स पावर के निर्धारण हेतु प्री मानसून जलस्तर को ध्यान में रखा जाये और उसी के आधार पर बोरवेल/ नलकूप की गहराई इत्यादि निर्धारित की जाये।

**7- बोरिंग की स्वीकृतिः-**

7.1 चयनित/पात्र कृषको के बोरिंग की अनुमति रूप पत्र-1 पर सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी की संस्तुति के पश्चात सहायक अभियन्ता द्वारा विकास खण्डवार निर्गत की जायेगी।

7.2 विकास खण्डवार बोरिंग की स्वीकृति निर्गत होने के उपरान्त सम्बन्धित अवर अभियन्ता द्वारा विकास खण्डवार निर्गत सूची में उल्लिखित क्रम के अनुसार बोरिंग टेक्नीशियन/ सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के माध्यम से कृषकों की बोरिंग निर्मित की जायेगी।

**8- <u>सामग्री व्यवस्था</u> :-**

8.1 योजना के अन्तर्गत निर्मित बोरिंग में निर्धारित विशिष्टि का पी. वी.सी. पाइप प्रयोग किया जायेगा। अपवाद स्वरूप बोरिंग निर्माण में निर्धारित विशिष्टि के एम.एस. पाइप का प्रयोग केवल उन्हीं क्षेत्रों में किया जायेगा, जहां हाइड्रोजियोलाजिकल परिस्थितियों के कारण पी.वी.सी. पाइप का प्रयोग सम्भव न हो। ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित कर सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई वृत्त से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् ही एम0एस0 पाइप का प्रयोग किया जा सकेगा।

8.2 एम.एस. पाइप से होने वाली बोरिंग के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता गत वर्ष के अवशेष को देखते हुए एम0एस0 पाइप की वास्तविक मांग अधीक्षण अभियन्ता के माध्यम से मुख्य अभियन्ता को

प्रेषित करेंगे। जिसकी व्यवस्था मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई द्वारा क्रय नियमों के अन्तर्गत की जायेगी। पी0वी0सी0 पाइप से निर्मित होने वाली बोरिंग हेतु पी0वी0सी0 पाइप व अन्य सामग्री की व्यवस्था कृषकों द्वारा स्वयं की जायेगी और इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 284/62-2-98-2/2(23)/97 दिनांक 13 फरवरी, 1998 **(संलग्न क्रमांक-8)** द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी, परन्तु उक्त शासनादेश एवं शासनादेश संख्या 5257-1/ 62-2-2001-2/2(27)/99 दिनांक 16 दिसम्बर 2001 के साथ संलग्न रूप पत्रों के स्थान पर, इस स्ट्रेटजी के साथ संलग्न रूप पत्र यथा 1,2,3(अ), 3(ब), 3(स) तथा रूप पत्र-4 का प्रयोग किया जायेगा।

8.3 शासनोदश संख्या : 3096/62-2-98-2/2(23)/97 दिनांक 16 अप्रैल, 1998 **(संलग्न क्रमांक-9)** द्वारा की गई व्यवस्था के अनुसार पी0वी0सी0 पाइप के क्रय हेतु अनुमन्य अनुदान का चेक सम्बन्धित कृषक के नाम निर्गत कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित कृषक द्वारा चेक को सहायक अभियन्ता/खण्ड विकास अधिकारी के समक्ष सम्बन्धित फर्म/डीलर के नाम इन्डोर्स करते हुए सम्बन्धित फर्म/डीलर को उपलब्ध कराया जायेगा अथवा लघु सिंचाई विभाग द्वारा बोरिंग पूर्ण होने के उपरान्त कृषक से अधिकार पत्र प्राप्त कर सम्बन्धित डीलर/फर्म को सीधे भुगतान किया जायेगा। भुगतान हेतु दोनो व्यवस्थाओं में से एक व्यवस्था चुनने के लिये कृषक/लाभार्थी स्वतंत्र होगे।

8.4 अनुदान स्वीकृत करने हेतु पी0वी0सी0 पाइप तथा अन्य सामग्री की दरें निर्धारित करने हेतु शासनादेश संख्या 3251/62-2-98-2/2(23)/97 दिनांक 23 अप्रैल, 1998 **(संलग्न क्रमांक-10)** द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के अन्तर्गत निम्न सदस्य रहेंगे जो दरे निर्धारित करेंगे।

| | | |
|---|---|---|
| (1) | जिलाधिकारी | अध्यक्ष |
| (2) | मुख्य विकास अधिकारी/ अपर जिलाधिकारी परियोजना | सदस्य |
| (3) | अधिशासी अभियन्ता (ल0 सिं0) | संयोजक |
| (4) | अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड सिंचाई विभाग | सदस्य |
| (5) | जिलाधिकारी द्वारा नामित अन्य दो अधिकारी | सदस्य |

8.5 इस शासनादेश के साथ निर्गत रूप पत्र 3(अ), 3(ब) एवं 3(स) पर बोरिंग टेक्नीशियन/ अवर अभियन्ता द्वारा निर्धारित विशिष्टियों की सामग्री क्रय किये जाने एवं बोरिंग में प्रयुक्त किये जाने का प्रमाण पत्र दिया जायेगा।

8.6 शासनादेश संख्याः 3253/62-2-98-2/2(23)/97 दिनांक 23 अप्रैल, 1998 **(संलग्न क्रमांक-11)** में की गई व्यवस्था के अनुसार कृषक द्वारा सहमति दिये जाने की दशा में सामग्री क्रय हेतु आवश्यक आंशिक धनराशि मजदूरी के अंश से उपलब्ध करायी जा सकेगी।

8.7 कृषक द्वारा क्रय किये जा रहे पी.वी.सी. पाइप एवं फिटिंग की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु शासनादेश संख्याः 5633/62-2-2000-2/12(40)/98 दिनांक 22 नवम्बर, 2000 **(संलग्न क्रमांक-12)** द्वारा की गयी व्यवस्था के अनुसार सम्बन्धित सहायक अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता द्वारा कार्यवाही की जायेगी और भुगतान करने से पूर्व वे यह पुष्टि करेंगे कि पाइप की आपूर्ति करने वाला डीलर/ उपडीलर आई. एस.आई. लाइसेन्सधारी निर्माता फर्म का अधिकृत डीलर है अथवा नहीं और उसके द्वारा फर्म से आई.एस.आई. मार्क पाइप वास्तव में क्रय किया गया है अथवा नही। इसके अतिरिक्त उक्त शासनादेश के प्रस्तर तीन में दिये गये निदेशों में निर्धारित प्रतिशत के अनुसार क्षेत्र में भ्रमण के दौरान यह देखेंगे कि उपयोग किया जा रहा पी.वी.सी. पाइप आई.एस.आई. मार्क है अथवा नही।

9. **निःशुल्क बोरिंग का कियान्वयन :-**

9.1 प्रस्तर-7 के अन्तर्गत स्वीकृत प्रार्थना पत्रों के आधार पर निःशुल्क बोरिंग करायी जायेगी।

9.2 निःशुल्क बोरिंग कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न मदों के लिये दर अनुसूची (शिडयूल ऑफ रेटस) सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता (लघु सिंचाई) द्वारा निर्धारित/संशोधित किये जायेगें। अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई दर अनुसूची के अनुसार कार्य कराये जाने के लिये उत्तरदायी होगें और अधीक्षण अभियन्ता (ल0सिं0) दर अनुसूची का पालन सुनिश्चित करायेंगे।

9.3 स्ट्रेनर बोरिंग में लगभग शत-प्रतिशत मामलों में प्रायः आई0एस0 कोड 4985 के अनुसार 110 एम0एम0 पी0वी0सी0 पाइप व

स्ट्रेनर का उपयोग किया जाना है। एम0एस0 पाइप की तुलना में पी0वी0सी0 पाइप की दक्षता अधिक होने के साथ ही सामग्री लागत कम होने से कैविटी बोरिंग में भी यथा सम्भव 6 के0जी0एफ0 का पी0वी0सी0 पाइप का प्रयोग किया जाये जब तक हाइड्रोजियोलाजिकल परिस्थितियाँ एम0एस0 पाइप से बोरिंग हेतु बाध्य न करें। ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित कर, सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता (ल0सिं0) से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही, इन क्षेत्रों में आई0एस01239(भाग-1)/1990 के अनुसार 100 एम. एम.एम.एस.एल.सी. पाइप का प्रयोग किया जायेगा।

9.4 अवर अभियन्ता (ल0सिं0) विभागीय बोरिंग टेक्नीशियन/सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के माध्यम से बोरिंग का कार्य करायेंगे। कार्य के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी आदेश/निर्देश एवं वित्तीय नियमों का पूर्ण पालन किया जायेगा।

9.5 निःशुल्क बोरिंग योजना में डुप्लीकेसी की सम्भावना को रोकने हेतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा अन्य योजनाओं में बोरिंग हेतु चयनित एंव पूर्ण लाभार्थियों की सूची प्रत्येक माह में सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई को उपलब्ध कराई जायेगी। लघु सिंचाई विभाग की निःशुल्क बोरिंग योजना में बोरिंग के प्रार्थना पत्र की स्वीकृति के उपरान्त अवर अभियन्ता, लघु सिंचाई द्वारा सम्बन्धित बोरिंग टेक्नीशियन/सहायक बोरिंग टेक्नीशियन को कृषकों की सूची उपलब्ध कराई जायेगी। जिसके अनुसार बोरिंग टेक्नीशियन/ सहायक बोरिंग टेक्नीशियन समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर बोरिंग कार्य पूर्ण करायेंगे। जिन मामलों में मजदूरी का भुगतान अनुमन्य अनुदान से किया जाना हो, उसके सम्बन्ध में बोरिंग प्रारम्भ करने से पूर्व लघु सिंचाई विभाग द्वारा बोरिंग टेक्नीशियन को मस्टररोल उपलब्ध कराया जायेगा।

9.6 निःशुल्क बोरिंग योजना के लक्ष्यों के अनुरूप विभाग में बोरिंग टेक्नीशियन/सहायक बोरिंग टेक्नीशियन उपलब्ध न होने पर प्राइवेट बोरिंग सेट लगाने की अनुमति शासनादेश संख्याः 2270/54-2-1299(27)/88 दिनांक 14 मई, 1992 **(संलग्न क्रमांक-13)** में दिये गये निर्देशों के अनुसार इस प्रतिबन्ध के साथ होगी कि प्राइवेट सेट मात्र उन्ही विकास खण्डों में लगाये जायेंगे जहाँ लक्ष्यों के सापेक्ष बोरिंग

टेक्नीशियन/ सहायक बोरिंग टेक्नीशियन उपलब्ध नहीं है साथ में यह प्रतिबन्ध होगा कि प्राइवेट बोरिंग सेट लगाने की सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता (ल0रिं0) से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।

9.7 अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता का यह दायित्व होगा कि किसी भी बोरिंग पर निर्धारित सीमा से अधिक व्यय न हो। यदि सीमा के अतिरिक्त धन आवश्यक है तो अन्तर की राशि नकद धन के रूप में लाभार्थी कृषक से जमा कराई जायेगी, अथवा कृषक द्वारा सामग्री/ श्रमांश आदि के रूप में व्यय की जायेगी। अधिशासी अभियन्ता यह सुनिश्चित करेंगें कि निर्धारित सीमा से किसी भी दशा में अधिक व्यय न हो।

9.8 बोरिंग पूर्ण होने पर बोरिंग कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न रूप पत्र–4 पर तैयार किया जायेगा, जिस पर लाभार्थी, बोरिंग टेक्नीशियन सम्बन्धित अवर अभियन्ता और प्रधान ग्राम पंचायत के हस्ताक्षर होंगे। यह प्रमाण पत्र खण्ड विकास अधिकारी के प्रति–हस्ताक्षर सहित सहायक अभियन्ता (ल0रिं0) को और कृषकों ने यदि बैंक से पम्पसेट लगाने के लिये ऋण लिया है तो उससे सम्बन्धित बैंकों को प्रेषित किया जायेगा। यह प्रपत्र बोरिंग हस्तांतरण को भी प्रमाणित करेगा जिसकी एक प्रति कृषक को भी दी जायेगी।

9.9 पूर्ण बोरिंग की सूची अवर अभियन्ता द्वारा ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर अथवा सार्वजनिक स्थल पर प्रदर्शित की जायेगी तथा क्षेत्र पंचायत की बैठक में भी प्रस्तुत की जायेगी।

9.10 निःशुल्क बोरिंग कार्य लघु सिंचाई विभाग द्वारा लोक लेखा पद्धति के अन्तर्गत कराया जायेगा। जिन मामलों में निर्धारित सीमा के भीतर बोरिंग का कार्य सम्भव है, समस्त कार्य विभाग द्वारा पूर्ण कराकर श्रमांश का भुगतान सम्बन्धित मजदूरों को सीधे किया जायेगा।

9.11 निःशुल्क बोरिंग योजना में कृषक को बोरिंग पर अनुमन्य अनुदान में से बोरिंग सेट का किराया काटकर राजस्व जमा किया जायेगा। बोरिंग सेट के किराये की दरें अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई द्वारा निर्धारित की जायेगी। शासनादेश संख्याः 5257–1/62–2–2001–2.2 (27)/99 दिनांक 18 दिसम्बर, 2001 के बिन्दु संख्या 11 के अनुसार

बोरिंग टेक्नीशियन/ सहायक बोरिंग टेक्नीशियन का वेतन भत्ता अब चार्ज नहीं किया जायेगा।

## 10- पम्पसेट के नकद क्रय की प्रक्रिया, पम्पसेट स्थापना एंव अनुदान स्वीकृति

निःशुल्क बोरिंग कार्यक्रम के अर्न्तगत सभी श्रेणी के कृषको की बोरिंग पर पम्पसेट स्थापित करने हेतु पम्पसेट के क्रय में बैंक से ऋण लेने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। अतः पम्पसेट के नकद क्रय की प्रक्रिया, पम्पसेट स्थापना एंव अनुदान उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध मे शासनदेश संख्याः 4045/62-2-2004 दिनांक 13 अक्टूबर, 2004 **(संलग्न क्रमांक-14)** द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार कार्यवाही की जायेगी।

**11- ऋण से पम्पसेट स्थापना, अनुदान स्वीकृत एवं समायोजन :-**

**11.1** कृषको द्वारा ऋण के माध्यम से पम्पसेट स्थापित करने की स्थिति में ऋण प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रपत्र पर औपचारिकता पूर्ण कराते हुए ग्राम पंचायत विकास अधिकारी/ बोरिंग टेक्नीशियन/ सहायक बोरिंग टेक्नीशियन व अन्य अधिकारी जो इस कार्य हेतु अधिकृत हो, के द्वारा तैयार किये जायेंगे, जिन पर अवर अभियन्ता ल0सि0 द्वारा तकनीकी प्लान अंकित कर खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से बैंको को प्रेषित किये जायेंगे। सम्बन्धित बैंको द्वारा ऋण स्वीकृत करने के उपरान्त कृषकवार एवं श्रेणीवार अनुदान का मॉग पत्र सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता को सहायक अभियन्ता के माध्यम से प्रेषित किया जायेगा जिसके अनुसार अनुदान की अग्रिम धनराशि अधिशासी अभियन्ता द्वारा बैंको को उपलब्ध करायी जायेगी। कृषको द्वारा यदि ऋण लेने का विकल्प चुना जाता है तो, ऋण स्वीकृति आदेश प्राप्त होने के पश्चात् बोरिंग की जायेगी।

**11.2** पम्पसेट अनुदान दिये जाने के बाद सम्बन्धित बैंक द्वारा निर्धारित रूप पत्र पर समायोजन की कृषकवार, मासिक सूचना लघु सिंचाई विभाग को दी जायेगी। पूर्व में उपलब्ध कराये गये अग्रिम अनुदान राशि का समायोजन प्राप्त होने के उपरान्त ही लघु सिंचाई विभाग द्वारा अनुदान की अगली किश्त की धनराशि बैंक को दी जायेगी।

**11.3** योजना के अन्तर्गत कृषक द्वारा स्थापित किये गये पम्पसेट के सत्यापन की सूचना पत्रावली बनाने वाले ग्राम पंचायत विकास अधिकारी,

बी0टे0/रा0बी0टे0 अथवा अन्य अधिकारी ऋण वितरण होने के एक माह के अन्दर खण्ड विकास अधिकारी को प्रेषित करेंगे। इस सूचना में ग्राम प्रधान का प्रमाण पत्र भी अंकित होगा, जिसके लिये रूप पत्र का निर्धारण मुख्य अभियन्ता द्वारा अलग से किया गया है। खण्ड विकास अधिकारी इस सूचना को सम्बन्धित बैंक एवं सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई को प्रत्येक माह में प्रेषित करेंगे और यदि ऋण स्वीकृत होने के दो माह के अन्दर कृषक द्वारा पम्पसेट स्थापित नहीं किया जाता है तो सम्बन्धित बैंक द्वारा कृषक से वसूली करने की नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। पम्पसेट की स्थापना प्रमाण-पत्र देने की जिम्मेदारी पत्रावली बनाने वाले कर्मचारी की होगी, जिसका प्रमाण पत्र अवर अभियन्ता, लघु सिंचाई व खण्ड विकास अधिकारी के हस्ताक्षर से बैंक व सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई को भेजा जायेगा।

11.4 ऋण की सम्पूर्ण वसूली होने तक पम्पसेट मानक प्रक्रिया के अनुसार बन्धक रहेगा और कृषक द्वारा इसे बेचा जाना पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा।

11.5 विभागीय अधिकारी प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अपने स्तर से भी पम्पसेट का सत्यापन दो माह के अन्दर करायेंगे और यदि अनुदान के दुरूपयोग का प्रकरण प्रकाश में आता है तो उसकी सूचना अधिशासी अभियन्ता सम्बन्धित बैंक, जिलाधिकारी तथा मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग को अग्रसर कार्यवाही हेतु देंगे।

11.6 सम्बन्धित बैंक वित्तीय संस्था का यह दायित्व होगा कि इस प्रकार प्रकाश में आये दुरूपयोग के प्रकरणों में दिये गये अनुदान की धनराशि की वसूली करके लघु सिंचाई विभाग को वापस उपलब्ध करायें। ऐसे मामलों में अधिशासी अभियन्ता (ल0सिं0) प्रभावी अनुश्रवण करेंगे।

11.7 ऋण के मामलो में अनुदान समायोजन न होने वाले मामलों को शासन द्वारा विशेष गम्भीरता से लिया जायेगा। इस सम्बन्ध में यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी शिथिलता बरतेगा, तो उसके विरूद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

**11.8** ऋण लेने वाले लाभार्थियों को इस बात की पूरी छूट होगी कि वह अपने मनपसन्द के आई0एस0आई0 मार्क पम्पसेट खुले बाजार में किसी भी इंजन/पम्पसेट निर्माता के अधिकृत विक्रेता से अपनी इच्छानुसार खरीद सके। बैंकों द्वारा पम्पसेट क्रय हेतु भुगतान लाभार्थियों के पक्ष में एकाउन्टपेयी चेक द्वारा किया जायेगा।

**11.9** निःशुल्क बोरिंग योजना में स्थापित बोरिंग एवं पम्पसेट की क्षमता पर विचारोपरान्त यदि कृषक अधिक क्षमता का पम्पसेट चाहते है तो बोरवेल की क्षमता पम्पसेट की क्षमता के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

**11.10** स्थापित किये गये पम्पसेट की सूची खण्ड विकास अधिकारी द्वारा क्षेत्र समिति की बैठक में रखी जायेगी। इसके उपरान्त कृषकों को देय छूट, खण्ड विकास अधिकारी की संस्तुति पर बैंक द्वारा समायोजित की जायेगी। यदि क्षेत्र समिति की बैठक में बोरिंग न होने या भुगतान के दुरूपयोग का कोई प्रकरण प्रकाश में आता है तो खण्ड विकास अधिकारी क्षेत्र समिति का प्रस्ताव मुख्य विकास अधिकारी को भेजेगें। मुख्य विकास अधिकारी प्रकरण की जांच के परिणामों से क्षेत्र समिति को अवगत करायेंगे और दुरूपयोग के मामले में अधिशासी अभियन्ता (ल0सिं0) से आवश्यक कार्यवाही करायेगें।

## 12- <u>गुणवत्ता नियंत्रण एवं भौतिक सत्यापन</u> :-

**12.1** कार्यक्रम की सफलता के लिये समयबद्ध ढ़ंग से निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों की पूर्ति के साथ गुणवत्ता का उच्च स्तर बनाये रखा जाना आवश्यक होगा। कुल निष्पादित निःशुल्क बोरिंग कार्यक्रम के भौतिक सत्यापन तथा निःशुल्क बोरिंग कार्यक्रम में गुणवत्ता बनाये रखने के लिए विभिन्न स्तरों से निरीक्षण/सत्यापन/जांच आवश्यक होगी। इस सम्बन्ध में संलग्नक-1 द्वारा निर्धारित मानकों का पालन किया जाये। इसके अतिरिक्त बगैर पम्पसेट वाली बोरिंग का दुरूपयोग न हो, को सुनिश्चित करने हेतु शासनादेश संख्याः 3195/62-2-2005-2/2(6)/2004 दिनांक 30 दिसम्बर, 2005 द्वारा सत्यापन हेतु निर्धारित मानक के अनुसार सत्यापन की कार्यवाही कराते हुए सत्यापन रिर्पोट वृत्त के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा प्रत्येक माह अपनी समीक्षात्मक टिप्पणी सहित मुख्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

12.2 योजना के अन्तर्गत निर्मित कार्यो का सत्यापन ग्राम पंचायत की जल संसाधन समिति द्वारा समय–समय पर किया जाये। अवर अभियन्ता, लघु सिंचाई द्वारा बोरिंग पूर्ण होने पर इसकी सूचना ग्राम प्रधान एवं जल संसाधन समिति को दी जायेगी तथा जल संसाधन समिति के अध्यक्ष के समक्ष बोरिंग चलाकर रूप पत्र–4 पर उनसे यह प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा कि बोरिंग सफलतापूर्वक कार्य कर रही है।

12.3 सत्यापन के समय वर्ष में सम्बन्धित ग्राम में पूर्ण समस्त बोरिंग का स्थलीय सत्यापन विभागीय अधिकारियों द्वारा किया जायेगा। सहायक अभियन्ता, (ल0सि0) प्रति माह टास्क फोर्स व विभिन्न अधिकारियों द्वारा किये गये सत्यापन की रिपोर्ट संकलित कर अधिशासी अभियन्ता, (ल0सि0) व अधीक्षण अभियन्ता, (ल0सि0) को देंगे। अधीक्षण अभियन्ता, (ल0सि0) द्वारा जनपदवार सत्यापन की सूचना संकलित कर मुख्य अभियन्ता, ल0सि0 को प्रतिमाह मासिक रिपोर्ट के साथ–साथ प्रेषित की जायेगी। जो बोरिंग त्रुटिपूर्ण/फर्जी पायी जाये उनके सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही जनपद स्तर पर सहायक अभियन्ता, (ल0सि0) द्वारा व खण्ड स्तर पर अधिशासी अभियन्ता, (ल0सि0) द्वारा की जायेगी।

12.4 बोरिंग कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये उसकी परिकल्पना, प्रयुक्त सामग्री की विशिष्टियॉं प्रस्तर–9.3 के अनुसार रहेगी। लघु सिंचाई विभाग के विभिन्न स्तरों के अधिकारी/कर्मचारी उक्त गुणवत्ता के स्तर को सुनिश्चित करने के लिये नियमों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत उत्तरदायी होंगे।

12.5 उपर्युक्त के अतिरिक्त कृषको द्वारा क्रय किये गये पी0वी0सी0 पाइप के संदर्भ में सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता (ल0सि0) लक्ष्यो के एक प्रतिशत मामलों में क्षेत्र का भ्रमण कर क्रय किये गये पाइप का नमूना लेकर विस्तृत विवरण सहित अधिशासी अभियन्ता आपूर्ति खण्ड को भेजेगें तथा अधिशासी अभियन्ता, आपूर्ति खण्ड नमूने की इण्टरनल कोडिंग करते हुए इन नमूनों को परीक्षण हेतु **"सीपेट"** को भेजेगें और परीक्षण के परिणामों के अनुसार कार्यवाही करेंगे। नमूने लेते समय अधिशासी अभियन्ता के साथ सम्बन्धित सहायक अभियन्ता और अवर अभियन्ता उपस्थित रहेगें और अवर अभियन्ता द्वारा पी0वी0सी0 पाइप के नमूने का लम्बाई के अनुसार मूल्य आंकलित कर मौके पर ही पी0आई0 से

सम्बन्धित कृषकों को भुगतान कर दिया जायेगा तथा इसका वहन निःशुल्क बोरिंग की कन्टीजेन्सी से किया जायेगा। इसके अतिरिक्त **"सीपेट"** से कराये गये परीक्षण हेतु व्यय हुई धनराशि भी सम्बन्धित खण्ड में उपलब्ध निःशुल्क बोरिंग योजना की कन्टीजेन्सी से वहन की जायेगी। नमूने लेने की विस्तृत प्रक्रिया मुख्य अभियन्ता के पत्र संख्या 675/ल0सि0/भं0आ0/ सामान्य-2000-01 दिनांक 11 जून 2001 **(संलग्न कमांक-15)** तथा पत्र संख्या 1386/ल0 सि0/भं0आ0/ पी0वी0सी0 गुणवत्ता/03-04 दिनांक 4 मार्च 2004 **(संलग्न कमांक-16)** द्वारा निर्गत है। अधिशासी अभियन्ता, आपूर्ति खण्ड द्वारा नमूनो के परीक्षण एंव परिणामों के संम्बन्ध में प्रत्येक माह समीक्षा कर आख्या मुख्य अभियन्ता के माध्यम से शासन को प्रेषित की जायेगी।

**12.6** कार्यक्रम में पारदर्शिता रखने के उददेश्य से पूर्ण की गई बोरिंग की सूची एवं स्थापित पम्पसेट की सूची सम्बन्धित ग्राम पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत के नोटिस बोर्ड पर या किसी सार्वजनिक स्थल पर प्रदर्शित की जायेगी और ग्राम पंचायतों/क्षेत्र पंचायतों की बैठक में भी प्रस्तुत की जायेगी। वर्ष के अन्त में पूर्ण की गई समस्त बोरिंग के लाभार्थियों की सूची प्रकाशित की जायेगी तथा क्षेत्र एवं जिला पंचायतों को उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही उपर्युक्त सूची समस्त जन प्रतिनिधियों को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

**12.7** कार्यक्रम की गति बनाये रखने के लिये समय-समय पर क्षेत्रीय समस्याओं के निराकरण के उददेश्य से ग्राम/क्षेत्र/जिला पंचायत स्तर पर कार्यक्रम का नियमित अनुश्रवण किया जायेगा। विभागीय अधिकारी भी समय-समय पर योजना के कियान्वयन की समीक्षा करके मुख्य अभियन्ता (ल0 सिं0) को अवगत करायेगें।

## 13 <u>सामान्य निर्देश</u> :-

**13.1** लघु सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित निःशुल्क बोरिंग के माडल प्राक्कलन की प्रतियॉं खण्ड विकास अधिकारी तथा लाभार्थी/ कृषक को भी उपलब्ध करायी जायेंगी।

**13.2** निःशुल्क बोरिंग से सम्बन्धित मुख्य नियम, प्राविधान/नियमावली को लघु सिंचाई विभाग द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत में उपर्युक्त स्थान पर प्रदर्शित किया जाये।

**13.3** बोरिंग प्रारम्भ करने से पूर्व कृषक, ग्राम प्रधान/ जल संसाधन समिति के अध्यक्ष को यह अवगत कराने की व्यवस्था की जाये कि किस दिन बोरिंग प्रारम्भ की जायेगी। यह व्यवस्था भी की जाये कि जिस दिन बोरिंग प्रारम्भ हो उस दिन ग्राम में एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित हो जिसमें लाभार्थी, ग्राम प्रधान, जल संसाधन समिति के सदस्य अथवा अन्य ग्रामवासी उपस्थिति रहे।

**13.4** लाभार्थियों के चयन तथा ऋण लेने के इच्छुक कृषको को ऋण स्वीकृत करने के स्तर तक की समस्त निर्धारित प्रक्रियाओं को पूर्ण कराने का दायित्व जिला स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी एवं क्षेत्र पंचायत स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी का रहेगा। प्रार्थना पत्र स्वीकृत करने, निःशुल्क बोरिंग कराने, लेखा पूर्ण कराने, अनुदान उपलब्ध कराने एवं कार्यक्रम के कियान्वयन का पूर्ण दायित्व जनपद स्तर पर सहायक अभियन्ता (ल0सिं0) एवं खण्ड स्तर पर अधिशासी अभियन्ता (ल0सिं0) का होगा जो कार्यक्रम के नोडल अधिकारी भी होंगे। निर्मित कार्यो के मानक एवं दर अनुसूची निर्धारित करने एंव गुणवत्ता नियन्त्रण का दायित्व वृत्त के अधीक्षण अभियन्ता (ल0सिं0) का होगा। पूर्ण योजना का संचालन एवं सामग्री व्यवस्था तथा गुणवत्ता नियन्त्रण का पूर्ण दायित्व मुख्य अभियन्ता (ल0सिं0) विभाग का होगा।

**13.5** ग्राम स्तर पर कुल निर्मित बोरिंग की गणना कराकर प्रत्येक कृषक की बोरिंग की नम्बरिंग करते हुए मुख्य अभियन्ता के कार्यालय पत्र संख्याः 609/ल.सिं./कार्य./वर्क प्लान/2002 दिनांक 30 अप्रैल, 2002 **(संलग्न क्रमांक–17)** द्वारा इन्वेन्ट्री रजिस्टर हेतु निर्धारित रूप पत्र में उनका विवरण रखा जाये और इसकी सूचना कृषक, ग्राम पंचायत एवं जल संसाधन समिति को उपलब्ध करायी जाये।

**13.6** कार्यक्रम की वित्तीय एवं भौतिक पाक्षिक/मासिक प्रगति की सूचना निर्धारित प्रपत्रों पर नियमित रूप से अधिशासी अभियन्ता व

अधीक्षण अभियन्ता द्वारा संकलित कर मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

**13.7** इस शासनादेश में सन्दर्भित विभिन्न शासनादेशों के ऐसे प्राविधान जिनका उल्लेख इसमें सम्भव नहीं हो पाया है, यथावत लागू रहेंगे।

संलग्नक :– यथोक्त।

भवदीय,

24.5.06

**( अनीस अंसारी )**
कृषि उत्पादन आयुक्त।

संख्या 12630/62-2-06 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
3. कृषि उत्पादन आयुक्त उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव/सचिव वित्त/नियोजन/राजस्व/ कर एवं निबन्धन, उत्तर प्रदेश शासन।
5. कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा के समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव।
6. राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
7. कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा के समस्त विभागाध्यक्ष।
8. प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, लखनऊ।
9. निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश।
10. निदेशक, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, उत्तर प्रदेश।
11. निदेशक, लघु सिंचाई एवं जल प्रयोग, बी0के0टी0, लखनऊ।
12. समस्त संयुक्त/उप विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
13. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई, उ0प्र0।
14. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
15. समस्त जिला प्रबन्धक, उ0 प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, लखनऊ।
16. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
17. अधीक्षण अभियन्ता/विषय विशेषज्ञ, लघु सिंचाई प्रकोष्ठ, लखनऊ।
18. अधिशासी अभियन्ता ( ल0सिं0 ) आपूर्ति खण्ड, लखनऊ।
19. निदेशक, संस्थागत वित्त निदेशालय, उ0प्र0 स्टेशन रोड, लखनऊ।
20. गार्ड फाइल लघु सिंचाई एंव ग्रा0अभि0सेवा, अनुभाग–2 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।

आज्ञा से,

**( सुधीर गर्ग )**
सचिव।